**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1381**

**मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**सोनीपत में कारोबार में सुगमता**

**1381. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कारोबार में सुगमता के अंतर्गत उद्योगों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्टअपों को प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा में पहचानी गई प्रमुख कमियों, जैसे कि कंपनी पंजीकरण, सांविधिक स्वीकृति, अनुपालन प्रक्रिया, डिजिटल सेवा और निवेश सुविधा से संबंधित मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कोई शिकायत या सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करने, प्रक्रिया को सरल बनाने, निवेश को आकर्षित करने तथा स्थानीय उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अधिक प्रभावी सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जितिन प्रसाद)**

**(क):** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), राज्य सिंगल विंडो प्रणालियों के मूल्यांकन जैसी पहलों और अन्य विनियामक सुधार पहलों के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) ईकोसिस्टम का आवधिक मूल्यांकन करता है। बीआरएपी 2024 में सरकार-से-व्यवसाय फीडबैक तंत्र के माध्यम से व्यवसाय प्रवेश, निवेश सुविधा, श्रम विनियमन, उपयोगिता परमिट, स्टार्टअप, सेवा क्षेत्र, निरीक्षण और ऑनलाइन सेवा संवितरण जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए 434 सुधारों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

किया गया। हरियाणा का मूल्यांकन इसी फ्रेमवर्क के तहत किया गया था। हालांकि, डीपीआईआईटी निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मूल्यांकन नहीं करता है।

**(ख):** बीआरएपी 2024 के अनुसार, हरियाणा ने सुधार कार्यसूची का पर्याप्त कार्यान्वयन किया। कुल 434 सुधारों में से, 342 का कार्यान्वयन के लिए मूल्यांकन किया गया था। 342 लागू सुधारों में से, 89.5 प्रतिशत को लागू किए जाने की सूचना दी गई थी, 2.9 प्रतिशत को गवर्मेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था, 7.0 प्रतिशत को न्यायिक आदेशों के कारण लागू नहीं किया गया था, और केवल 0.6 प्रतिशत को ही लागू नहीं करने की सूचना थी। हरियाणा को बीआरएपी 2024 में "आकांक्षी" राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें विनियामक अनुपालन बोझ का क्षेत्र भी शामिल है। राज्य ने व्यवसाय में प्रवेश करने, भूमि प्रशासन और स्वास्थ्य के सेक्टर-विशिष्ट क्षेत्र जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विशिष्ट क्षेत्रों में भी अपेक्षाकृत सुदृढ़ निष्पादन दर्ज किया है।

**(ग):** डीपीआईआईटी नियमित रूप से व्यवसायों, निवेशकों, एमएसएमई, स्टार्टअप और अन्य हितधारकों से परामर्श, कार्यशालाओं और बीआरएपी जैसे फीडबैक-आधारित मूल्यांकन के माध्यम से फीडबैक और सुझाव प्राप्त करता है। हरियाणा में बीआरएपी 2024 फीडबैक कार्यक्रम में विभिन्न सुधार क्षेत्रों के 5,848 उपयोगकर्ताओं को शामिल किया गया। उपयोगकर्ताओं से प्राप्त सुझावों में दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं का सरलीकरण, पोर्टल की गति और विश्वसनीयता में सुधार, आवेदनों और भुगतानों के लिए एकीकृत डैशबोर्ड की शुरूआत, उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर करना, आसानी से दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना, आवेदनों पर कार्यवाही के मामले में पारदर्शिता लाने हेतु सुधार करना और निर्बाध भुगतान और रिफंड तंत्र सुनिश्चित करना शामिल है। तथापि, निर्वाचन क्षेत्र-वार ऐसा रिकार्ड और फीडबैक नहीं रखा जाता है।

**(घ):** सरकार ने हरियाणा सहित देश भर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और विनियामक ईकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे: -

i. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापार के अनुकूल विनियामक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) का कार्यान्वयन करना।

ii. निवेशक सुविधा और ऑनलाइन सेवा संवितरण में सुधार के लिए एक विस्तृत सुधार फ्रेमवर्क और गाइडबुक के माध्यम से राज्य सिंगल विंडो प्रणालियों का आकलन और सुदृढ़ीकरण।

iii. जिला स्तर पर विनियामक शासन, निवेशक सुविधा, सार्वजनिक सेवा संवितरण और

उद्यमिता संवर्धन में सुधार के लिए जिला व्यवसाय सुधार कार्य योजना (जिला बीआरएपी) का विकास।

iv. विनियामक अनुपालनों के सरलीकरण, युक्तिकरण, डिजिटलीकरण और उनके गैर-अपराधीकरण के माध्यम से अनुपालन बोझ को कम करने (आरसीबी) संबंधी पहल का कार्यान्वयन। देश भर में 47,865 से अधिक अनुपालन कम किए गए हैं।

v. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सेवाओं की एंड-टू-एंड ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित करने, पोर्टल की विश्वसनीयता और उपयोगिता में सुधार करने, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने, दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को सरल बनाने, पारदर्शी नवीनीकरण तंत्र शुरू करने और डिजिटल सेवा की उपलब्धता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।

vi. विनियामक दक्षता, पारदर्शिता और निवेशक अनुभव में सुधार के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर हितधारक परामर्श और सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों को साझा करना।

*****